

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो०बजट-33/2018-1360 दिनांक : ०४.११.२०१८

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

उप वन संरक्षक, वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय, महिलाँग/निदेशक, वनरक्षी-सह-वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय, हजारीबाग/वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल/दुमका वन प्रमंडल/जमशेदपुर वन प्रमंडल।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समिति एवं ग्रामीणों को वानिकी कार्य से जुड़ी तकनीकी जानकारियाँ देने हेतु वन विज्ञान केन्द्र की स्थापना के लिए प्रशिक्षण कार्य हेतु कुल रु0 59.424 लाख (उनसठ लाख बेयालीस हजार चार रुपये) मात्र राशि का ऑनलाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो०बजट-24/2018-34/स्वी० व०प० दिनांक 02.11.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो०बजट-24/2018- 86/आ० व०प० दिनांक 02.11.2018।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- 01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-60 "प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु0 59.424 लाख (उनसठ लाख बेयालीस हजार चार रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101600323	28.136
प्रशिक्षण	19S240601101600335	31.288
कुल :-		59.424

2. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची होंगे, जिनके दिशा-निर्देश आलोक में योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा। "प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" (अन्य व्यय) के अंतर्गत निम्न कार्य के लिए राशि उप-आवंटित किए जा रहे हैं :-

- प्रदर्शनी हॉल में वानिकी से सम्बंधित चित्र आदि अन्य प्रदर्श आदि लगाना, जिससे ग्रामीणों को समुचित जानकारी मिल सके।

- प्रशिक्षण हॉल के लिए उपस्कर प्रोजेक्ट आदि का क्रय।
- संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रशासनिक व्यय

3. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी/ उप वन संरक्षक/वन संरक्षक होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 पर द्रष्टव्य है।

4. इस योजना का कोड संख्या-19S240601101600323, एवं 19S240601101600335 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जाएगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप-आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती हैं, तो उन दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजना, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृति राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार में अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वसभाजन,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-33 / 2018- 1360 दिनांक- 08.11. 2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मेदिनीनगर / दुमका / जमशेदपुर / वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर / दुमका / जमशेदपुर / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-33 / 2018- 1360 दिनांक- 08.11. 2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची / हजारीबाग / पलामू / दुमका / जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची


वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन" (अन्य व्यय) के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समिति एवं ग्रामीणों को प्रशिक्षण कार्य हेतु उप-आवंटित गौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वन विज्ञान केन्द्रों का नाम	कार्य विवरणी	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु०)		
				प्रशिक्षण व्यय	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	उप वन संरक्षक, वनपाल पशिक्षण विद्यालय, महिलोंग	वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय, महिलोंग	वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय, चाईबासा	4.964	4.536	9.500
2	निदेशक, वनरक्षी-सह-वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय, हजारीबाग	वनरक्षी-सह-वनपाल प्रशिक्षण विद्यालय, हजारीबाग	1. प्रदर्शनी हॉल में वानिकी से सम्बन्धित चित्र आदि अन्य प्रदर्शनी आदि लगाना, जिससे ग्रामीणों को समुचित जानकारी मिल सके। 2. प्रशिक्षण हेल के लिए उपस्कर प्रोजेक्ट आदि का क्रय। 3. संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रशासनिक व्यय	4.964	4.536	9.500
3	वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल	पलामू जिला		4.964	4.536	9.500
4	वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल	दुमका जिला		5.466	4.844	10.310
5	वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशदेपुर वन प्रमंडल	जमशदेपुर जिला		5.466	4.844	10.304
योग :-				31.288	28.136	59.424

प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास,
झारखण्ड, रांची

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601101600335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Central Scheme : NA	69388	HZBFWL020 KARUNA NIDHAN PRASAD DIRCT.FOR CUM FRG TRG SCH HZB	रुपये नौ लाख बयानवे हजार आठ सौ
8	S 19 240601101600335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Central Scheme : NA	69390	PLMFOR070 KUMAR ASHISH IFS D.F.O.MEDININAGAR, OREST.DIV.	रुपये पाँच लाख छयालीस हजार छ. सौ
9	S 19 240601101600335 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Central Scheme : NA	69392	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	रुपये पाँच लाख छयालीस हजार छ. सौ
योग: 2,086,000.00				
क्रमिक योग: रुपये तीरपन लाख छयानवे हजार 5,396,000.00				

(SHRI SATNAM SINGH
PCCF,D(BADHAKHAR)RANCHI
SC)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं अवधारणा पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101600323	69380	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	484,400.00 रुपये चार लाख चौरासी हजार चार सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन मंरकाण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme			
	State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Central Scheme : NA			
5	S 19 240601101600323	69383	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	484,000.00 रुपये चार लाख चौरासी हजार
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन मंरकाण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme			
	State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Central Scheme : NA			
6	S 19 240601101600335	69387	DRNFWL009 SMT.SMITHA PANKAJ IFS DY.CF.TRAINING RANCHI	496,400.00 रुपये चार लाख छयानवे हजार चार सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन मंरकाण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme			
	State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343) Central Scheme : NA			
योग:				1,464,800.00
क्रमिक योग:	रुपये तीरीस लाख दस हजार			3,310,000.00

(SHRI SATNAM SINGH)

SC PCCF.DIBADHANWA(R)RANCHI



आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

वार्ष. वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु नियमानुसार दराए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-33/18/1360

दिनांक -


08-Nov-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101600323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	69375	DRNFWL009 SMT.SMITHA PANKAJ IFS DY.CF.TRAINING RANCHI	453,600.00 रुपये चार लाख तीरपन हजार छ. सौ
2	S 19 240601101600323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	69376	HZBFWL020 KARUNA NIDHAN PRASAD DIRECT.FOR CUM FRG FRG.SCH HZB	907,200.00 रुपये नीं लाख सात हजार दो सौ
3	S 19 240601101600323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	69378	PLMFOR070 KUMAR ASHISH IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	484,400.00 रुपये चार लाख चौरासी हजार चार सौ
योग:				1,845,200.00
क्रमिक योग:				रुपये अठारह लाख पैतालीस हजार दो सौ


(SHRI SATNAM SINGH)
PCCF, DDAHARKHANS (RANCHI)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601101600335 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 60 - प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकण 03 - प्रशासनिक व्यय 35 - प्रशिक्षण व्यय State Scheme	69393	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	546,400.00 रुपये पैंच लाख छयालीस हजार चार सौ

State Scheme : TRAINING FACILITIES(0343)
Central Scheme : NA



योग:

546,400.00

क्रमिक योग:

रुपये उनसठ लाख बयालीस हजार चार सौ

5,942,400.00

SHRI SATNAM SINGH
PCCF, DEPARTMENT OF RANCHI